सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यवृत्त

आज दिनांक 01.04.2024 को अपराह्न 03:30 बजे कुलपति कार्यालयीय कक्ष में संकायाध्यक्षों की एक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अधोलिखित महानुभाव उपस्थित हुए-

1. प्रो॰ बिहारी लाल शर्मा, कुलपति -
2. प्रो॰ हरिशंकर पाण्डेय, छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष/श्रमण विद्या संकायाध्यक्ष -
3. प्रो॰ हीरककान्ति चक्रवर्ती, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकायाध्यक्ष -
4. प्रो॰ अमित कुमार शुक्ल, वेद वेदांग संकायाध्यक्ष -
5. प्रो॰ विजय कुमार पाण्डेय, साहित्य संस्कृति संकायाध्यक्ष -
6. प्रो॰ शम्भुनाथ शुक्ल, दर्शन संकायाध्यक्ष -
7. श्री राकेश कुमार (आई॰ए॰एस॰), कुलसचिव -
8. प्रो॰ सुधाकर मिश्र, परीक्षा नियन्त्रक -
9. श्री केश लाल, उपकुलसचिव -

एजेण्डा

बिन्दु–1 शास्त्री प्रथम एवं आचार्य प्रथम के प्रवेश में संस्कृत विषय की शिथिलता के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश पर विचार।

निर्णय– शास्त्री प्रथम एवं आचार्य प्रथम के प्रवेश में संस्कृत विषय में शिथिलता के दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में सम्यक् विचार-विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद के निर्णय दिनांक 04.11.2023 (विचारणीय विषय क्रमांक-4)

विचारणीय विषय -4- शास्त्री एवं आचार्य में प्रवेश हेतु संस्कृत विषय की अनिवार्यता को शिथिल करने पर विचार।

समकालीन परिवेश में नयी शिक्षा नीति-2020 के आलोक में संस्कृत भाषा एवं भारतीय संस्कृति की अभिवृद्धि के उद्देश्य से सामान्य धारा से पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को संस्कृत में निहित गूढ़ ज्ञान सम्पूरित रहस्यों को उद्घाटित करने के उद्देश्य से देश के अन्य संस्कृत विश्वविद्यालयों के समान, पराम्परागत संस्कृत छात्र/छात्राओं के साथ-साथ सामान्य धारा से पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को भी विश्वविद्यालय में पढने का अवसर प्रदान किया जाने के उद्देश्य से शास्त्री एवं आचार्य में प्रवेश हेतु संस्कृत विषय की अनिवार्यता को शिथिल करने विषय विचार परिषद् के समक्ष उपस्थापित किया गया-

उक्त विषय पर विचार-विमर्श के क्रम में विश्वविद्यालय के अधोलिखित विद्वान आचार्यों ने परिषद् के समक्ष अपना-अपना परामर्श प्रस्तुत किया जिसमें मुख्य रूप से

प्रो. रामकिशोर त्रिपाठी आचार्य-वेदान्त विभाग, प्रो.जितेन्द्र कुमार आचार्य-विज्ञान विभाग, प्रो. सुधाकर मिश्र आचार्य-वेदान्त विभाग, प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल आचार्य-तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग, प्रो. हरिप्रसाद अधिकारी आचार्य-तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग, प्रो. शैलेश कुमार मिश्र, प्रो. रामपूजन पाण्डेय, प्रो. अमित कुमार शुक्ल, प्रो. हीरक कान्ति चक्रवर्ती, प्रो. विजय कुमार पाण्डेय, एवं डॉ. विजय कुमार शर्मा ने विश्वविद्यालय की अभिवृद्धि एवं उत्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुए तथा विश्वविद्यालय में संचालित शास्त्रीय विषयों की गुणवत्ता को प्रभावित किये बिना शास्त्री एवं आचार्य में संस्कृत विषय की अनिवार्यता में शिथिलता के सम्बन्ध में परिषद् में विमर्श के पर्यन्त विद्वानों के परामर्शानुसार विश्लेषण कर पाठ्यक्रम निर्माण करने हेतु विद्या परिषद् ने अधोलिखित समिति का गठन करने पर अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

प्रो. रामकिशोर त्रिपाठी	- अध्यक्ष
प्रो. रामपूजन पाण्डेय	- सदस्य
प्रो.जितेन्द्र कुमार	- सदस्य
प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल	- सदस्य
डॉ. विद्या कुमारी चन्द्रा	- सदस्य
श्री सुनील कुमार	- सचिव

को स्पष्ट रुप से वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय, जिससे विश्वविद्यालय एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय दिशा-निर्देश के अनुसार प्रवेश ले सकें और छात्र/छात्रायें भी दिशा-निर्देश से परिचित हो सकें।

बिन्दु–2 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के विकास शुल्क के निर्धारण पर विचार।

निर्णय– विकास शुल्क के सम्बन्ध में सम्यक् विचार-विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया गया कि विकास शुल्क महाविद्यालय के विकास के लिए होता है और विकास शुल्क पूर्व की भाँति महाविद्यालय द्वारा लिया जायेगा। गत वर्ष जो महाविद्यालय विकास शुल्क विश्वविद्यालय में जमा कर चुके हैं, उन महाविद्यालयों की फीस में विकास शुल्क को समायोजित कर लिया जायेगा। इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

बिन्दु–3 भारतीय नववर्ष के आरम्भ एवं विश्वविद्यालय स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– भारतीय नववर्ष एवं स्थापना दिवस के भव्य आयोजन पर विचार-विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया गया कि भारतीय नववर्ष एवं विश्वविद्यालय स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन भव्य रुप में किया जाय, जिसके लिये प्रो॰ हरिशंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन अधोलिखित रुप से किया जाय -

1. प्रो॰ राघवेन्द्र दुबे
2. डॉ॰ विजेन्द्र कुमार आर्य
3. श्री केश लाल, उपकुलसचिव
4. कर्मचारी संघ अध्यक्ष एवं महामंत्री
5. छात्रों के एक प्रतिनिधि।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय नववर्ष के अवसर पर दिनांक 09.04.2024 को प्रातः 8:00 बजे से 09:00 बजे तक विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को अनिवार्य रुप से उपस्थित रहने का आदेश निर्गत किया जाय तथा ऊँ के झण्डे के साथ विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण किया जाय। (सम्पत्ति विभाग झण्डे की व्यवस्था करेगा।)

बिन्दु–4. शास्त्री/आचार्य पाठ्यक्रम निर्माण पर विचार।

निर्णय– सम्यक् विचार-विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया गया कि शास्त्री एवं आचार्य के सेमेस्टरवार पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ विद्यापरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा विद्यापरिषद के अनुमोदनोपरान्त उक्त पाठ्यक्रमों को वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।

बिन्दु–5. शास्त्री द्वितीय सेमेस्टर एवं आचार्य चतुर्थ सेमेस्टर आदि परीक्षाओं के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– सम्यक् विचार-विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया गया कि आगामी शास्त्री द्वितीय, तृतीय, आचार्य द्वितीय, चतुर्थ आदि समस्त परीक्षाओं की समय-सारणी यथाशीघ्र वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय, जिससे परीक्षाओं की तैयारी सुव्यवस्थित की जा सके।

बिन्दु–6. विश्वविद्यालय में आवासितों के आवास में विद्युत मीटर लगाने पर विचार।

निर्णय– विश्वविद्यालय में विद्युत बिल अधिक प्राप्त हो रही है। शासन एवं राजभवन द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाता रहा है कि विद्युत बिल को नियन्त्रित किया जाय, जिस पर सम्यक् विचार-विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया गया कि आवासितों के आवासों में अनिवार्य रुप से विद्युत मीटर लगाये जायें एवं उसकी रीडिंग के अनुसार बिल की धनराशि की कटौती सम्बन्धित के वेतन से की जाय। इसका क्रियान्वयन अनिवार्य रुप से किया जाय।

बिन्दु–7. विगत दो महीने से परीक्षा पारिश्रमिक का बिल वित्त विभाग द्वारा नहीं लिया जा रहा है, पर विचार।

निर्णय– सम्यक् विचार-विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग को परीक्षा पारिश्रमिक बिल प्रेषित किया जाय और परीक्षा नियन्त्रक को वित्ताधिकारी से विचार-विमर्श करके शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराया जाय।

बिन्दु–8. विश्वविद्यालय में परीक्षा पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि पर विचार।

निर्णय– सम्यक् विचार-विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया गया कि वित्त समिति द्वारा शासनादेश के अनुसार परीक्षा पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि करने हेतु निर्णय करने के लिए बैठक आहूत की जाय।

बिन्दु–9. अतिथि अध्यापकों के मानदेय वृद्धि पर विचार।

निर्णय– सम्यक् विचार-विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के मानकानुसार अन्य विश्वविद्यालयों की दृष्टिगत रखते हुए अतिथि अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि पर विचार किया जाय।

बिन्दु–10. विभागों में लगे सभी कम्प्यूटर्स में एण्टी वायरस डालने पर विचार।

निर्णय– सम्यक् विचार-विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया गया कि विभागों/अनुभागों के सभी कम्प्यूटर्स में एण्टी वायरस डालने हेतु व्यवस्था की जाय।

बिन्दु–11. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार विश्वविद्यालय अथवा जिला मुख्यालय पर कराने पर विचार।

निर्णय– सम्यक् विचार-विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय आदेश संख्या कु०स०-2345/2024 दिनांक 03.03.2024 द्वारा जारी आदेश को निरस्त करते हुए शासनादेश एवं अधिनियम/परिनियम के अनुसार आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए जिला मुख्यालय पर साक्षात्कार कराने हेतु निर्देश जारी किया जाय, तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को उक्त आदेश की सूचना दी जाय।

(प्रो० बिहारी लाल शर्मा)	(प्रो० हरिशंकर पाण्डेय)	(प्रो० हीरककान्ति चक्रवर्ती)
कुलपति	छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष/ श्रमण विद्या संकायाध्यक्ष	आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकायाध्यक्ष
(प्रो० अमित कुमार शुक्ला)	(प्रो० विजय कुमार पाण्डेय)	(प्रो० शम्भुनाथ शुक्ल)
वेद वेदांग संकायाध्यक्ष	साहित्य संस्कृति संकायाध्यक्ष	दर्शन संकायाध्यक्ष
(राकेश कुमार आई०ए०एस०)	(प्रो० सुधाकर मिश्र)	(श्री केश लाल)
कुलसचिव	परीक्षा नियन्त्रक	उपकुलसचिव

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : /

दिनांक : 09-11-2023

समिति की बैठक

पत्रांक कु0सं013/23 दिनांक 07-11-2023 द्वारा शास्त्री एवं आचार्य में प्रवेश हेतु संस्कृत विषय की अनिवार्यता को शिथिल करने पर विचार हेतु 09-11-2023 को मध्याह्न 12:00 बजे वेदांत विभागाध्यक्ष के कक्ष में आहूत बैठक में उपस्थिति निम्नवत है –

1. प्रो0 रामकिशोर त्रिपाठी - अध्यक्ष
2. प्रो0 जितेन्द्र कुमार - सदस्य
3. प्रो0 रजनीश कुमार शुक्ल - सदस्य
4. डॉ0 विद्या चन्द्रा - सदस्य
5. श्री सुनील कुमार - सचिव

कार्यवृत्त

1. विचारणीय विषय – शास्त्री एवं आचार्य में प्रवेश हेतु गैर संस्कृत विषय के विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रवेश दिया जाय एवं पाठ्यक्रम निर्धारित किये जाने पर विचार ।

निर्णय - **प्रवेशार्हता नियम-** उन सभी विषयों में जिनमें सम्बन्धित विषयों में उत्तरमध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, को छोड़कर अन्य सभी विषयों में बिना संस्कृत के +2 उत्तीर्ण छात्र भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेगें । ज्योतिष विषय में किसी भी विषय के उत्तर मध्यमा से उत्तीर्ण छात्र अर्ह होगें। प्रवेशार्हता सूची में परम्परागत विषय में उत्तर मध्यमा उत्तीर्ण छात्रों को प्रथम वरीयता दी जायेगी। उत्तर मध्यमाप्रवेशार्थ अवशिष्ट सीटों पर सामान्यधारा में +2 उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।

जो छात्र प्रवेशार्हकारी परीक्षा बिना संस्कृत के उत्तीर्ण है उन्हें शास्त्री प्रथम, द्वितीय सेमेस्टर में निर्धारित संस्कृत भाषा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

पाठ्यक्रम – प्रथम सेमेस्टर –

सन्धि प्रकरण – अच्सन्धि, हल्सन्धि तथा विसर्गसन्धि का परिज्ञान ।

कारक प्रकरण – विभिन्न विभक्तियों के अर्थो का अध्ययन।

षड्लिङ्ग प्रकरण- अजन्त पुल्लिंग, अजन्त स्त्रीलिंग, अजन्त नपुंसक लिंग, हलन्त पुल्लिंग, हलन्त स्त्रीलिंग, हलन्त नपुंसक लिंग।

अनुवाद – उपर्युक्त प्रकरणों से सम्बन्धित अनुवाद।

द्वितीय सेमेस्टर –

समासप्रकरण - अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वन्द्व तथा भ्वादि प्रकरण तथा कृदन्तप्रकरण।

अनुवाद - प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के व्याकरणांशों पर आधारित अनुवाद।

आचार्य में प्रवेश हेतु अलग से विचार किया जायेगा।

9/11/23 9/11/23 9/11/2023 9/11/23 9-11-23